भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1499

09.02.2026 को उत्तर के लिए

समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1499. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में समेकित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (आईएसडब्ल्यूएम) प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो द्वीपों में ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथक्करण, शोधन और निपटान की द्वीप-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, जनशक्ति या जागरूकता में किन्हीं कमियों या चुनौतियों की पहचान की है;

(घ) उक्त संघ राज्य क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षद्वीप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सांविधिक ढांचा प्रदान करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुसार, लक्षद्वीप के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाओं की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा तथा स्वच्छ लक्षद्वीप अभियान योजना के अंतर्गत लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा भी समीक्षा की गई है।

(ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, लक्षद्वीप के द्वीपों में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, उपचार एवं निपटान की स्थिति निम्नानुसार है:

लक्षद्वीप में 10 आबाद द्वीप हैं, जिनमें 10 ग्राम पंचायतें (द्वीप पंचायत) शामिल हैं, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। लक्षद्वीप में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की कुल मात्रा 18 टन प्रति दिन है, जिसमें से 100% अपशिष्ट एकत्र किया जाता है और अपशिष्ट के उपचार में बिना किसी अंतराल के उपचार / संसाधित किया जाता है। लक्षद्वीप के द्वीपसमूह में कोई स्वच्छ लैंडफिल स्थल नहीं है। लक्षद्वीप के 10 आबाद द्वीपों में गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट का घर-घर जाकर संग्रह किया जाता है। निवासियों द्वारा रसोई अपशिष्ट का प्रबंधन अपने-अपने स्थानों पर स्वयं किया जाता है। झाड़ू/सफाई से उत्पन्न अपशिष्ट को एकत्र कर केंद्रीय कचरा भंडार तक ले जाया जाता है। गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण के लिए द्वीप के विभिन्न स्थानों पर लगभग 6,648 कचरा डिब्बे लगाए गए हैं। गैर-जैवनिम्नीकरणीय पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को प्रत्येक द्वीप में अस्थायी भंडारण यार्ड/सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा में संग्रहित किया जाता है तथा समय-समय पर मुख्य भूमि में भेजा जाता है।

(ग) एवं (घ) पंचायत विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन के अनुसार, मुख्य भूमि में पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं का परिवहन, विशेष रूप से मानसून के मौसम में सीमित कनेक्टिविटी और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ़) की स्थापना के लिए प्रत्येक द्वीप में भूमि का आवंटन कुछ बाधाएं हैं। लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उठाए गए विभिन्न कदम निम्नलिखित हैं:

i. उपयोगकर्ता शुल्क का कार्यान्वयन: कवरत्ती द्वीप में मई 2020 से उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण लागू किया गया है।

ii. एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) का प्रबंधन: लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन ने दिनांक 26 जनवरी, 2019 से अपने क्षेत्र में एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

iii. सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) के माध्यम से जागरूकता: एसयूपी पर आईईसी जागरूकता के हिस्से के रूप में, जनता को जागरूक करने हेतु सभी द्वीपों के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं।

iv. कवर परिवहन व्यवस्था: कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिए 5 बंद (कवर्ड) वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 12 ई-कार्ट बंद वाहन भी अपशिष्ट परिवहन कार्य में लगाए गए हैं।

v. पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट का परिवहन: लक्षद्वीप की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण, लक्षद्वीप प्रशासन ने पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, जिसमें सीमेंट बैग भी शामिल हैं, को मुख्य भूमि स्थित पुनर्चक्रण इकाइयों तक भेजना जारी रखा है।

vi. निगरानी: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कड़ी निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में सभी द्वीपों के लिए राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र स्तर तथा द्वीप स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कवरत्ती, कदमत और अगात्ती में तीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(ङ) पंचायत विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन के अनुसार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लक्षद्वीप में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु ₹1.93 करोड़ की राशि जारी की गई। यह राशि, अन्य बातों के साथ-साथ, ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के सुचारू प्रबंधन और परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु ई-कार्ट की खरीद के लिए उपयोग की गई। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ लक्षद्वीप अभियान योजना के अंतर्गत द्वीपों में ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए भी धनराशि जारी की गई है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट के सुचारू संचालन और प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। पंचायत विभाग, लक्षद्वीप प्रशासन ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं स्वच्छ लक्षद्वीप अभियान योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई धनराशि की स्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत की है:

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

वर्ष	**जारी की गई निधि (रू.)**	**व्यय राशि (रू.)**	**उपलब्ध राशि (रू.)**
2022-23	1,93,50,000	1,77,502	1,91,72,498
2023-24	1,91,72,498	49,61,889	1,42,10,609
2024-25	1,42,10,609	1,06,38,122	35,72, 487
2025-26	बकाया राशि उपयोग नहीं की गई।		

स्वच्छ लक्षद्वीप अभियान

वर्ष	**जारी की गई निधि (रू.)**	**व्यय राशि (रू.)**
2022-23	2,09,00,000	2,09,00,000
2023-24	4,50,00,000	3,91,88,731
2024-25	6,74,00,000	6,44,92,738
2025-26	4,00,00,000	2,92,83,583

****